फा. सं. 14039/14/2013-यू टी एस-।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

यू टी एस-।

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 अप्रैल, 2014 29 APR 2014

आदेश

श्री आदेश कुमार ने दिनांक 03.04.2014 की प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. श्री आदेश कुमार का दिनांक 25.01.2014 का आर टी आई आवेदन, बिन्दु सं. 11 से 14 के संबंध में उत्तर मुहैया कराए जाने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी, स्थापना पुलिस मुख्यालय के माध्यम से, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय से दिनांक 03.03.2014 को यू टी एस-। डेस्क, गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। निदेशक (को) और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक को, यू टी एस-। डेस्क, गृह मंत्रालय में यथा उपलब्ध संगत उत्तर इस मंत्रालय के दिनांक 24.03.2014 के पत्र के तहत भेज दिया था। दिनांक 25.01.2014 के आर टी आई आवेदन, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर विचार किया गया है। दिनांक 25.01.2014 के आवेदन के बिन्दु सं. 11 के प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ए जी एम यू टी संवर्ग के आई ए एस/आई पी एस अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई थी। तथापि, उसमें उनकी जाति और रैंक का उल्लेख नहीं था। अब प्रत्येक अधिकारी के वेतनमान/ग्रेड का उल्लेख करते हुए उक्त सूची का संशोधित प्रपत्र संलग्न है। तथापि, इन अधिकारियों की जाति के बारे में सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। जहां तक अन्य बिन्दु अर्थात (12-14) का संबंध है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, यू टी एस-। डेस्क में यथा उपलब्ध उत्तर पहले ही मुहैया करा चुके हैं। तथापि, यदि अपीलकर्ता दी गई सूचना के बारे में विचार-विमर्श करने/संतुष्ट होने के इच्छुक हैं तो वह आपस में तय करके किसी सुविधाजनक तारीख और समय पर अधोहस्ताक्षरी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से मिल सकते हैं।

3. श्री आदेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह पाया गया कि उनके आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का दिनांक

24.03.2014 का उपर्युक्त उत्तर/निर्णय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप है।

4. अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है।

संलग्नक : उपर्युक्त अनुसार।

(आई. एस. चहल)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में

श्री आदेश कुमार,
पूर्वी जिला पुलिस लाइन,
नंडावली, फाज़लपुर,
दिल्ली-110092

प्रतिलिपि ए जी एम यू टी संवर्ग के सभी खंडों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/मुख्य सचिव/प्रशासक के सलाहकार/प्रशासक को, श्री आदेश कुमार के दिनांक 25.1.2014 के आर टी आई आवेदन सहित मद सं. 11 अर्थात ए जी एम यू टी संवर्ग के वर्ष 2011 और 2012 के बैचों के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की जाति के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित।

21/5/15

दि० 3/4/14

प्रथम अपील धारा-19 ५ के अन्तर्गत

(8Pr)

CR-261627/JS(UT)/14 3/4

सेवा में,

प्रथम अपील प्राधिकारी
श्री आई. एस. चहल
संयुक्त सचिव (यू.टी.)
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001

UTS-I Desk/MHA
Dy. No. 62-RTI
Date 9/4/2014

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली /New Delhi-1
03 APR 2014
प्राप्त विभाग/केन्द्रीय रजिस्ट्री
Received CR Section
के.र.से. 261627 क्रम सं.

विषय:. आर.टी.आई. एक्ट-2005 की धारा-19५ के तहत जवाब अपूर्ण देने के कारण प्रथम अपील-पत्र।

परिभाषा:- टिप्पणी (धारा-19 (५) व धारा-6 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, (b) वह व्यक्ति जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या, राज्य लोक सूचना अधिकारी विनिश्चय से दु:खी है;

उत्तर पत्र सं:— नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, दि० 25 मार्च, 2014 में जो-बिन्दु-11, बिन्दु-12, बिन्दु-13, बिन्दु-14 में जो दिये गये जवाब आधे-अधूरे व अपूर्ण है (उत्तर-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है) एवंम (प्रश्न-पत्र की प्रति भी संलग्न है)

JS(UT)

प्र० - 11 की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। हार्ड टार्ट लिये गये है
प्र० - 12 उपरोक्त — उपरोक्त
प्र० - 13 उपरोक्त — उपरोक्त
प्र० - 14 की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। उपरोक्त

JS(UT) 3/4

US(DB) 4/4

उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान की जाये ताकि आवेदनकर्ता को द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े।

7/4

SO(UTP) - तत्काल

Reply has been given by UTS Div. Pl. send it to the concerned. 7/4

संलग्न प्रतियाँ:-
① प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि
② उत्तर पत्र की प्रतिलिपि

प्रथम अपीलकर्ता
आदेश कुमार, M.A. LL.B
एन.डी.एस. S/C
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय
शकरपुर पाण्डव नगर दि-92

URGENT/First Appeal

SO(UTP)/Sh. Joshi

Sh. Kim. 7/4/14

(7) 118

दि० - 25/1/2014 धारा - 6 ए के अन्तर्गत

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय
मण्डावली फाजलपुर दि - 92

विषय :- RTI Act - 2005 के अन्तर्गत आवेदन - पत्र।

1 → INS. A.K. SINGH, DIU में निरीक्षक के पद पर तैनात होने के कारण अपने से अधीनस्थ किसी भी पद के कर्मचारी को कभी - भी बिना वजह पूर्व लिखित सूचना के बिना इसी कार्यालय में ही बुलाने / बुलवाने का अधिकार है या नहीं पूर्ण जानकारी दी जाये।

2 → INS. A.K SINGH, DIU में तैनात है और दि० 15/1/14 को शिकायतकर्ता आदेश कुमार जिसकी शिकायत सं० 500 दि० - 15/1/14 जनरल डायरी, पूर्वी जिला को प्राप्त करायी गयी उसमें INS. A.K. SINGH ने शिकायतकर्ता MTS आदेश कुमार को अपने कार्यालय के केबिन में बुलाकर जो INS. A.K. SINGH के द्वारा डाली गयी RTI जिसमें INS. A.K. SINGH ने अपने वरिष्ठ अधिकारीयों की पूर्ण सम्पत्ति की जानकारी मांग रखी है (के बारे में कहा कि मैं उपरोक्त RTI के मामले में तुझे फसा दूँगा और तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँगा) उस RTI की प्रतिलिपि दी जाये जो INS. A.K SINGH ने डाली थी नम्बर वर्ष 2013 के किस माह व दिनांक तथा उसका डायरी नम्बर सहित पूर्ण जानकारी दी जाये।

3 → INS. A.K. SINGH के द्वारा दि० 15/1/14 को बुलाकर मेरे जो लिखित में थे :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, व P.I.O, PLO उनका इन्होंने मेरे से लिखवा कर किस नियम के तहत उपरोक्त जाँच की उस नियम की प्रति व उपरोक्त लिखाई के मजमून का पेज दिखवाये व सम्पूर्ण पेपर सहित जानकारी दी जाये।

4 → INS. A.K. SINGH ने जो मुझे अपने केबिन में बुलाकर समय 11.30 बजे प्रातः से 12.15 शाम तक पूछताछ की व उस दौरान इन्होंने INS VIJAY NAGAR जी से अपने ही फोन से बात की उसकी CDR किस प्रकार से निकलवायी जा सकती है वह बताये और यदि INS. A.K. SINGH के द्वारा की गयी अनऑफिशियली (UNOFFICIALY) कार्यवाही को उनका पद निरीक्षक का है और मेरा पद MTS है इस कारण उनकी CDR को निकलवाने से मना किया जा सकता है इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

5 → INS. A.K. SINGH ने मुझे अपने केबिन में बुलाकर समय 11.30 बजे प्रातः से 12.15 बजे शाम तक जो पूछताछ की उस दौरान की मेरे फोन व उनके फोन की स्थिति एक ही जगह पर थी उसकी CDR व लोकेशन का पता लगाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

6 → INS. A.K. SINGH कब से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए है और उनकी तैनाती उसके बाद कहाँ-कहाँ पर हुई है और उन्होंने उपरोक्त प्रकार से कितने लोगो के खिलाफ इस प्रकार से (उपरोक्त) की तरह झूठी F.I.R दर्ज कराने की धमकियाँ दी है व कितने लोगो के खिलाफ अपने कार्यकाल के दौरान झूठी F.I.R दर्ज करवायी है उनकी पूर्ण जानकारी दी जाये।

7 → INS. A.K. SINGH ने जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो RTI वर्ष 2013 में डाली है (जिसके बारे में उन्होंने बुलाकर बताया व रिकार्ड थी) वह RTI उन्होंने अपने पद SHO थाना-कृष्णा नगर के पद से हटने के कारण गुस्से या किसी अन्य कारण से डाली थी तो अब मुझे MTS-आदेश कुमार को किस वजह से फंसा रहे है उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

8 → INS. A.K. SINGH ने मुझे बुलाकर जो शब्द कहे कि मैंने बहुत जाँच की है और बहुत सारे जाँच के कोर्स किये है उनमें से किस कोर्स में उपरोक्त प्रकार से अन-ऑफिशियली बुलाकर व लिखित में लिखाई के नमूने लेने का उपरोक्त तरीका सिखाया जाता है उसकी प्रतिलिपि दी जाये।

9 → INS. A.K. SINGH के पद व उच्च पद पर आसीन होने तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे सम्पर्क में होने के कारण वह कभी भी किसी भी अधिनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित कर सकते है और उन्होंने थाना-कृष्णा नगर के SHO के पद पर तैनाती के दौरान कितने कर्मचारियों की विभागीय जाँच व S.C.N तथा सैन्सर दिलवायी उसकी संख्या वर्षानुसार जानकारी प्रदान की जाये।

10 → INS. A.K. SINGH के द्वारा वर्ष-2013 में कुल कितनी RTI Act-2005 के तहत आवेदन-पत्र दिये उनकी संख्या व दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

11 → गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच-2010 के स्थायी व भारतीय पुलिस सेवा बैच-2010 व भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच-2012 से कुल कितने अधिकारी AGMUT कैडर में ट्रेनिंग कर रहे है उनके नाम व जाति तथा रैंकानुसार जानकारी प्रदान की जाये।

12 → वर्तमान में कुल I.P.S अधिकारी जो कि AGMUT कैडर के ही है और उनकी तैनाती दिल्ली से बाहर है उनकी कुल संख्या सहित स्टेट व UT की संख्या व उनका पद सहित पूर्ण जानकारी दी जाये।

13 → AGMUT कैडर के I.P.S अधिकारी जिनकी सेवा दिल्ली से बाहर में 3 वर्ष व उससे अधिक हो गये है उनके नाम, बैच व जाने की तिथि सहित जानकारी प्रदान की जाये।

14 → AGMUT कैडर के I.P.S व I.A.S तथा DANICS व DANIPS -

क्रम. सं. 15.

अधिकारी जो कि दिल्ली पुलिस में तैनाती के 1 वर्ष के अन्दर व 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल करने से पहले ही बाहर स्थानांतरित कर दिये गये वर्ष 2012-2014 जनवरी तक की आदेशों सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

5-15 → दिल्ली पुलिस द्वारा MTS स्टाफ के लिए किसी प्रकार की पदोन्नति हेतु प्रक्रिया जारी है तो उसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

5-16 → RTI पत्र सं. 24/24/स्पेशल/आई.डी.-1564/2013/394/आर टी आई/स्थापना/पु. मु. दिनांक 13/1/14 (जो कि संलग्न है) उस पर क्र. संख्या 4 में दी गई रिक्तियों को भरने की क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है उसकी जानकारी दी जाये।

नोट: उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर केवल हिन्दी भाषा में ही दिये जायें।
→ मुझे व मेरे परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आर्थिक मानसिक उत्पीड़न होता है और मेरे खिलाफ कोई झूठी कार्यवाही होती है तो उसके लिए INS. A.K. SINHA व और उनके सहयोगी व उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

संलग्न प्रतियाँ :-
(1) शिकायत पत्र की प्रतिलिपि।
(2) वापसी की नकल रपट की प्रतिलिपि।
(3) रवानगी की नकल रपट की प्रतिलिपि।
(4) क्र. संख्या 16 में दिया गया आदेश की प्रतिलिपि।

आवेदनकर्ता :-
आदेश कुमार MA, LLB
पूर्वी जिला पुलिस
कार्यालय, मंडावली
फाजलपुर दि-92

प्रतिलिपि को :-
(1) केन्द्रीय सूचना आयुक्त
(2) आयुक्त पुलिस, दिल्ली
(3) केन्द्रीय सतर्कता आयोग